



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172438

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 4121

सन् 2026

राघवेंद्र और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

मनोज कुमार यादव, संजय कुमार यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आज दाखिल किया गया तीसरा अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 316 सन् 2025 के तहत धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 3(5) बीएनएस, थाना- दीदारगंज, जिला आजमगढ़ के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार, लोगों के दो समूहों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षकारों के दो-दो लोग घायल हुए, लेकिन किसी की भी चोट जानलेवा नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सह अभियुक्त यादवेंद्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.3.2026 के आदेश के माध्यम से आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2242 सन् 2026 में पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, तीसरे अनुपूरक शपथपत्र में तीन प्रकरणों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होंगे। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदकगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे तथा न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।



7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदकगण की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह माना जाता है कि अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) अगर इस प्रकरण में शामिल आवेदकगण - **राघवेंद्र और विपुल** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) आवेदकगण विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेंगे और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iii) आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदकगण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला